

आदेश फलक

अभिलेख संख्या:- 04 / 20-21

वाद का प्रकार:- विविध

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
------------------------------	--------------------------------	--

कुमार मणि सिंह पिता जैविन्द नारायण सिंह ग्राम - असको थाना- देवरी जिला- गिरिडीह ने निम्नांकित खाता प्लॉट की भूमि का ऑनलाईन इन्ट्री हेतु आवेदन दिया है, जो बकास्त भूमि है, जिसकी रसीद सत्यभामा देवी व चुरानण सिंह के नाम वर्ष 2015-16 में निर्गत है।

ग्राम	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	रकवा
असको	165	77	674	1.48 ए0
		77	1173	2.03 ए0
			1366	1.09 ए0
			1371	0.48 ए0
			TORM	0.21 ए0
			1572	0.33 ए0
			1592	0.26 ए0
असको	165	73	504	0.83 ए0
			514	2.91 ए0
			536	0.36 ए0
			TORM	0.63 ए0

इस संबंध में हल्का राजस्व उप निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। इसी बीच आवेदक को नोटिश निर्गत कर सम्बन्धित भूमि का सम्पूर्ण कागजात की मांग करते हुए एक आम इस्तेहार निर्गत करें। कि किसी को किसी प्रकार की आपति हो तो वे अपना आपति पत्र दिनांक 16.07.2020 को पूर्वाहन में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर दे सकते हैं।

अभिलेख दिनांक 16.7.2020 को उपस्थापित करें।

16.7.2020  
अंचल अधिकारी,  
देवरी।

16.07.2020

आवेदक उपस्थित। आवेदक ने स्वतंत्रता के नडखडी


प्रति उल्लेख कराया। निम्नलिखित




क्षतिपूर्ति अभिलेख सं० 366/58-59 के नकल की  
 दाया प्रति प्रस्तुत किया गया। मूल प्रति अवलोकनार्थ  
 प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रस्तुत कागजात सिर्फ  
 खाता सं० 77 से संबंधित तथा 179 से संबंधित है, जिसमें  
 खाता सं० 77 श्रमिती सनुन्तला देवी तथा नैजन शय  
 वैंगरह के नाम दर्ज है।

आवेदक द्वारा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के  
 लिए समय मांगा गया


अभिलेख दिनांक 30.07.2020 को प्रस्तुत करें

  
 16.7.2020

30.7.2020 अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष उपस्थित।  
 अन्य प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की  
 गयी है। अभिलेख 20.8.2020 को रखें।


  
 30.7.2020

20.08.2020 अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष उपस्थित।  
 अनिर्बंधित जमींदारी दुरुमनामा की प्रति प्रस्तुत  
 किया गया। आदेश पर रखें।

  
 20.8.2020

आदेश

आवेदित भूमि बहाल खाते भूमि है। आवेदक द्वारा खाता सं०  
 77 तथा 73 का online entry हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके  
 माध्यम में सत्यभामा देवी के नाम लजान रसीद तथा क्षतिपूर्ति अभिलेख  
 के नकल की दाया प्रति प्रस्तुत किया है। क्षतिपूर्ति अभिलेख में सत्यभामा  
 देवी के नाम खाता सं० 179 से संबंधित विवरण दर्ज है, जिससे लजान  
 रसीद तथा क्षतिपूर्ति अभिलेख में विरोधाभास हो रहा है। अतः  
 सक्षम पदाधिकारी द्वारा लजान निर्धारण किये जाने संबंधी दस्तावेज  
 आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया है, जिससे आवेदित भूमि का Jharbhami  
 पर online entry नहीं किया जा सकता। अतः बाद की सर्वार्थ समाप्त  
 की जाती है।

  
 20.08.2020

संयुक्त अधिकारी